

शिपिंग निर्देश के लिए सैम्पल फॉर्मट
(इलास्ट्रेटिव फॉर्मट)

प्रेषण की प्रणाली

1. सामग्री का प्रेषण सी द्वारा किया जा सकता है अथवा यदि अधिक इकानामिकल हो तो पार्सल पोस्ट से भेजा जा सकता है। नमूना शिपिंग उपबंध लाकर कार्गो के लिए।

2. एफओबी/एफएस अनुबंध (आयात)

शिपिंग की व्यवस्था शिपिंग समन्वय एवं चार्टरिंग डिवीजन द्वारा पोत एवं परिवहन मंत्रालय नई दिल्ली के माध्यम से उनके संबन्धित फारवर्डिंग एजेंट / नामिती द्वारा जैसाकि नीचे उल्लिखित है जिनको पर्याप्त सूचना कम से कम 6 सप्ताह पहले शिपमेंट के लिए कार्यों की तैयारी करने हेतु ठेकेदार आपूर्तिकर्ता द्वारा दिया जाना चाहिए।

एफ ओ बी / एफ एस अनुबंध (आयात)

क्षेत्र	फारवर्डिंग एजेंट्स / नामिती
क) यू के (उत्तर आयर लैंड सहित) यूरोप के उत्तरी महाद्वीप जर्मनी, हालैण्ड, बेल्जियम, फ्रांस, नार्वे, स्वीडेन, फिनलैंड एवं डेनमार्क और महाद्वीप के भूमध्यसागरीय बन्दरगाह (आई ई फ्रेंच एवं वेस्टर्न इटालियन पोर्ट) और एडियाट्रिक पोर्ट्स।	क) मेसर्स पैनलपीना वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट, पैनलपीना वेल्डट्रांसपोर्ट जीएमबीएच स्पल्लिंडगस्त्र - 64 डी20007, हैमबर्ग जर्मनी दूरभाष+494023771-133 फैक्स +494023771-342 अथवा 344 ई-मेल: tanja.heukroth@ham.panmail.com
ख) यू एस ए कनाडा	ब) मेसर्स ओपीटी ओवेरसीस प्रोजेक्ट ट्रांसपोर्ट इंक. 969, निवर्ड टुंपिके केयर्नी न्यू जर्सी - 07032, यूएसए

<p>ग) जापान</p>	<p>प्रथम सचिव (वाणिज्य) भारतीय दूतावास टोकियो, जापान केबल: इंडएमबेसी टोकियो</p>
<p>घ) आस्ट्रेलिया</p>	<p>भारतीय जहाज निगम लिमिटेड शिपिंग हाउस 229-232, मैडम कामा रोड, मुंबई 400021 केबल शिपिंग इंडिया मुंबई सचिव</p>
<p>ड) काला सागर बलगेरिया रोमानिया के बन्दरगाह</p>	<p>इंडो सोवियत शिपिंग सर्विसेज, सी/ओ, शिपिंग कारपोरेट आफ इंडिया लिमिटेड शिपिंग हाउस 229-232, मैडमे कामा रोड, मुंबई 400021 केबल शिपिंग मुंबई सोविंगशिप सचिव</p>
<p>च) पोलिस बन्दरगाह</p>	<p>इंडो पोलिस शिपिंग सर्विसेज, सी/ओ शिपिंग कारपोरेट इंडिया लिमिटेड शिपिंग हाउस, 229-232 मैडमे कामा रोड मुंबई 400021 केबल शिपिंग इंडिया मुंबई इंडोपोल शिपिंग को व्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से की जायेगी अथवा शिपिंग कारपोरेट रेश आफ इंडिया लिमिटेड शिपिंग हाउस, 229-232, मैडम कामा रोड मुंबई 400021 केबल शिपिंग इंडिया मुंबई</p>
<p>छ) अन्य क्षेत्र (यूएसएसआर एवं रोस्टाक (जीडीआर) के काला समुद्र बन्दरगाहों को छोड़कर ।</p>	

इस संबंध में कोई परिवर्तन जैसे जहाजरानी और यातायात मंत्रालय द्वारा सूचित किया जाएगा, चार्टरींग विंग को महाप्रबंधक (मा) द्वारा सूचित किया जाएगा।

3.सोवियत एस के काला सागर बन्दरगाह भारत

सभी ठेकेदार चाहे एफ ओ बी / एफ ओ आर / सी एड एफ / सी आई एफ इत्यादि।

इस संविदा के अंतर्गत उपकरणों और सामग्री का परिवहन यूएसएसआर के पत्तनों और भारत के बीच नियमित पोत परिवहन सेवा की स्थापना की तारीख यथा संशोधित 06.04.0955 ने

‘सोवियत भारत करार’ के अनुसार एक पक्षकार पर आधारित ‘भारत सोवियत नौपरिवहन सेवा’ के ‘सोवियत एंड इंडियन लाइनर वेसेल्स’ द्वारा किया जाएगा।

4. रॉकस्टॉक (जीडीआर) से भारत तक एफओबी सांझेदार

विक्रेता को भारत पाकिस्तान-बंगलादेश सम्मलेन के सदस्यों के सम्बंध में जलयानों द्वारा भण्डार के लदान की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि विक्रेता को यह पता चलता है। किसी निशिष्ट नौ-परिवहन में स्थान उपलब्ध नहीं है तो उसे नौ-परिवहन में स्थान उपलब्ध कराने के लिए मामले को भारत-पाकिस्तान-बंगलादेश सम्मलेन, कानफेरिटी हॉउस, ईस्ट ग्रिडस्टेड, ससेक्स, यूं के से उठाना चाहिए और नौ-परिवहन समन्वय अधिकारी, जहाजकर्मी और परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली। (केबिल: ट्रांसवार्ट, नई दिल्ली, टेलेक्स: वाहन एनडी- 2312, 2448 और 3104 को सूचित करना चाहिए)।

- 1) लदान पत्र इस प्रकार से तैयार करायें ताकि निम्नलिखित को भी दिखाया जा सके:

माल भेजने वाला: भारत सरकार

प्रेषिती: सरकारी विभाग, उपक्रम या संबोधित परियोजना या पूर्ती और निपटान निर्देशक/पोतों रोहण सुमादेशकर निविदा में यथा विनिर्दिष्ट पर प्रेषिती और अंतिम प्रेषिती का नाम और पता बताना चाहिए।

- 2) लदान पत्रों की सकल भाड़ा राशि और अनुमेय छूट को दर्शाते हुए अपरक्राम्य प्रतिहा प्रत्येक के लदान के पश्चात् नौवहन समन्वय अधिकारी, जहाजीकारी और परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली को अग्रेषित की जानी चाहिए।

5. भारत के लिए प्रेषण हेतु पार्सल डॉक विधि:

क. सामान को डॉक से भारत भेजने के लिए उपयुक्त रूप से पैक करना चाहिए और पार्सल मेसर्स माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, माझगांव, मुम्बई 400010 को संबोधित होना चाहिए जिसके रैपर पर पते के नीचे क्रयादेश संख्या, मद संख्या और आयात अनुज्ञा-पत्र संख्या, रैपर पर लिखी होनी चाहिए।

6. पैक करना और चिन्हांकन करना:

क. सामग्री को समुद्र/ डॉक/ वायु प्रेषण द्वारा सामान्य परिवहन हेतु सभी प्रकार से पर्याप्त रूप से पैक करना चाहिए, भारतीय पत्तन पर निकासी से पहले बिलम्ब के मामलों को ध्यान से बचाने के लिए उपयुक्त रूप से संरक्षित होनी चाहिए।

ख. सामग्री की प्रत्येक श्रेणी विशेष रूप से विद्युद उपकरणों को अलग-अलग पैक करना चाहिए और प्रत्येक पेटी का सकल भार जहाँ संभव हो 4480 पौंड से कम होना चाहिए, यदि लदान के लिए एक से अधिक पेटियां हों तो पेटियों पर 1 और आगे की संख्या अंकित करनी चाहिए और तत्संबंधी संख्या को उस पैकिंग सूची में दर्शाना चाहिए जिसमें सामग्री सूचीबद्ध है। प्रत्येक पैकेज पर सकल भार लिखना चाहिए ताकि स्थानीय सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा 500/- रु. दंड लगाने से बचा जा सके। समूची सामग्री समुद्री यात्रा से समुचित रूप से संरक्षित होनी चाहिए विशेष रूप से जंग लगने, संरक्षण और टूट-फूट की संभावनाओं से संरक्षित होनी चाहिए।

ग. प्रत्येक केस / पैकेज पर एक पैकिंग नोट दर्शाते हुए सामग्री का विवरण जोड़ना चाहिए।

घ. सभी टिंबर जिसका उपयोग पैकिंग सामग्री के रूप में किया जाना है वह बार्क, इन्सेक्ट और फंगी से मुक्त होना चाहिए।

7. सभी पैकेज के दो किनारे पर नीले बैकग्राउंड का रंग करना चाहिए और उसपर 1 इंच चौड़ाई की तिरियाक रेखा सफेद रंग की होनी चाहिए। पहचान के लिए सभी केसेस पर 3 इंच की ऊंचाई आकार में चिन्हित करना चाहिए। जहां कहीं संभव हो जैसा कि निम्नलिखित है:-

माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई

केस संख्या:

आदेश संख्या:

सकल भार किलोग्राम में

शुद्ध वजन किलोग्राम में

बाहरी परिधि

----- में निर्मित

8. विशेष मार्किंग निर्देश भारतीय मर्चेंडाइस मार्क्स अधिनियम के साथ अनुपालन करना चाहिए।

i) आदेश पैकिंग के केस पर स्पष्ट रूप से ----- देश में निर्मित मार्क होना चाहिए।

ii) कंटेनर में पैकिंग बॉक्सों पर देश में ----- मार्क होना चाहिए।

iii) कंटेनर में शामिल सामग्री और पैकिंग केसेज पर यतों स्टाइम्पिंग अथवा टाई लेबल क एसठ मार्क होना चाहिए।

अ) देश ----- में निर्मित (किस देश का)

आ) निर्माता सहित उत्पादक देश का नाम

सर विलियम अररोल एंड कं. लिमिटेड. इंग्लैंड

9. सभी स्पेअर्स और सहायक सामग्री को अलग से क्रेडेट और लेबल "स्पेअर पार्ट्स" के रूप में करना होगा।

10. निम्नलिखित दस्तावेज **माइगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड** मुम्बई को एअर मेल तत्काल करना होगा। तैयार करके उन्हें यह सुनिश्चित करना है कि वे समय से हमारे पास जलयान पहुँचने से पहले पहुँचे।

क) लैंडिंग के एअर क्लीन बिल की तीन प्रतियाँ और मूल हस्ताक्षर।

ख) इन वायस की 06 प्रतियाँ मदवार दर्शाते हुए, पैकिंग सूची के साथ एफ ओ बी प्राइस।

ग) प्रमाण पत्र पुष्टि करते हुए ताकि बीजक, पैकिंग सूची, बिल आफ लैंडिंग की नान नेगोटिबल कापी / एअर वे बिल की तीन प्रतियाँ हमें तत्काल एअर मेल द्वारा शिपमेंट पर भेजी गई है।

घ) मूल देश का प्रमाण पत्र तीन प्रतियाँ में।

ङ) वारंटी प्रमाण पत्र तीन प्रतियों में।

च) मैन फैक्चर वर्क टेस्ट सर्टिफिकेट / शाप टेस्ट सर्टिफिकेट की 06 प्रतियाँ।

छ) ए बी / एस आर एस / डी ओटी से निरीक्षण और अनुमोदन प्रमाण पत्र की छह प्रतियाँ अथवा कोई अन्य नामित निरीक्षण प्राधिकारी (जो भी लागू हो)

ज) परिचालक प्रमाण पत्र की निर्देश / प्रचालन / अनुरक्षण नियमावली की प्रतियाँ लाभार्थी द्वारा प्राप्तकर्ता का प्रत्यक्ष रूप से भेज दी गई है।

झ) इसे लागू करने का प्रमाण कि बिल्ट ड्राइंग के साथ थी रीप्रोडक्सीबल ड्राइंग की दृष्टि प्रतियाँ प्रत्यक्ष रूप से लाभार्थी द्वारा प्राप्तकर्ता को भेजी गई है।

ञ) जुर्माना के सम्बंध में प्रमाण पत्र, की तुलना में सुपुर्दगी कार्यक्रम।

ट) आदेश में जारी प्रारूप में आदेश मूल्य का 5% बैंक गारंटी एक कार्य निष्पादन (मूल के साथ 2 जेराक्स प्रति) बैंक गारंटी, गारंटी अवधि के दौरान उपकरण के लिए वैध होगी।

11. सभी दस्तावेजों में निम्नलिखित विवरण स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होना चाहिए।

क) आयात लाइसेंस संख्या

ख) हमारा आदेश संख्या

- ग) कैरीग वेजल का नाम
- घ) बिल का लैडिंग संख्या
- ड) पैकेज पर मार्किंग

12. भुगतान के लिए प्रबंध:

दस्तावेजों को किसी भी परिस्थिति में बैंक के माध्यम से संग्रह के आधार पर नहीं भेजना है। जहां कहीं भुगतान लेटर आफ क्रेडिट के माध्यम से करना होगा वहाँ इसके लिए अपरिवर्तनीय लेटर आफ क्रेडिट की पुष्टि अवधि के बारे में प्राप्ति की पुष्टि स्थापित होने पर जिसके लिए लेटर आफ क्रेडिट शिपमेंट और निगोशिएशन आवश्यक होगा। आफ क्रेडिट एफ ओ बी सामग्री मूल्य के लिए होगा। लेटर आफ क्रेडिट का विचार सामान्य रूप में मंजूर नहीं किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शिपमेंट लेटर आफ क्रेडिट की तिथि समाप्त होने से पहले प्रभावित हो।

13. भारत के बाहर अधिकृत भुगतान के लिए यू के विशेष रक्षा क्रेडिट 1964 एक प्रमाण पत्र निम्नलिखित प्रारूप में उपरोक्त लिखित दस्तावेज के साथ रहना चाहिए:

“मैं, प्रमाणित करता हूँ कि सामग्री एवं सेवाएँ -----मूल्य की -----एस डी -----
---(राशि शब्दों में) जैसा कि सलग्न बीजक में दर्शाया गया है। की आपूर्ति अनुबंध संख्या ----
-----के अंतर्गत दिनांक -----को की गई है।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि -

अ) आपूर्ति की गई सामग्री पूर्ण रूप से यूनाइटेड किंगडम में निर्मित है।

आ) सेवाओं की आपूर्ति यूनाइटेड किंगडम व्यक्तियों / कार्पोरेशन द्वारा की गई है।

हस्ताक्षर

ठेकेदार / आपूर्तिकर्ता का नाम एवं पता

जिसके लिए तथा ओर से किया गया है

दिनांक -----

14. बीमा एवं भाड़ा

बीमा की व्यवस्था न्यू इंडिया एंशुरेंस कंपनी लिमिटेड, मैरीन बीमा विभाग, वाणिज्या केंद्र तारवेव मुंबई 400034 के माध्यम से की जायेगी। शिपमेंट का ब्योरा निम्नलिखित को माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा सूचित किया जायेगा। शिपमेंट एड वाईस प्राप्त होने पर, तत्काल शिपमेंट के बाद आपूर्तिकर्ता को निम्नलिखित विवरण हमें एअर मेल द्वारा सूचित करना चाहिए जिससे कि बीमा कवर की व्यवस्था हो सकें।

आदेश संख्या -----

जलयान का नाम -----

वाईस -----

बिल आफ लैडिंग संख्या एवं दिनांक

पैकेजों की संख्या -----

सामग्री का संक्षिप्त विवरण -----

एफ ओ बी मूल्य -----

नेट फ्रेट -----

15. बीमा एवं भाड़ा का मूल्य भारत में परिवर्तनीय भारतीय मुद्रा में भुगतान किया जायेगा।

16. निरीक्षण और / अथवा गारंटी

आपूर्ति की गई सामग्री का निरीक्षण किया जाएगा और अथवा परीक्षण हमारे क्रय आदेश में निर्दिष्ट हो सकता है परीक्षण प्रमाण पत्र, जहन आवश्यक होगा की आपूर्ति करनी होगी। एक गारंटी निम्नलिखित प्रारूप में हमें एयरमेल द्वारा भेगी जाएगी इसके साथ ही उपरोक्त सेसंबंधित दस्तावेज़ होना चाहिए। हम एतदद्वारा गारंटी देते हैं कि सामग्री जो आपूर्ति की गई है वे क्रय आदेश में दिये विवरणों दर्शाई मात्रा के अनुसार है। सभी सामग्री पूर्ण और कार्य कुशलता से परिपूर्ण है और यदि कोई सामग्री भारत में प्राप्त होने पर क्रेता के आदेश के अनुसार नहीं आई जाती है तो हम सीआईएफ़ के आधार पर मुक्त में बदलकर देंगे।

17. कमी एवं दोषपूर्ण सामग्री

यदि कोई कमियाँ पाई जाती है तो इनमें सुधार प्रेषक द्वारा “नो चार्ज” इन्वायस के अंतर्गत किया जाएगा। सामग्री के बारे में कोई शिकायत पाये जाने पर यार्ड में सामग्री प्राप्त होने से 180 दिनों के भीतर अधिसूचित किया जाएगा और कोई दोषपूर्ण सामग्री आपूर्तिकर्ता के जोखिम

पर और ठेकेदार आपूर्तिकर्ता को लागत पर वापस किया जाएगा/आपूर्तिकर्ता इन समग्रियों कि बदली सीआईएफ के आधार पर मुफ्त में किया जाएगा।

18. वारफेज और डिमरेज ठेकेदार/ आपूर्तिकर्ता कि ज़िम्मेदारी पर सभी शिपमेंट के लिए होगा जो हमारे पास बिना बिल लैंडिंग उचित समय से किए बिना पृष्ठांकित कर पैकिंग सूची और बीजकों के साथ जोड़ी गई है। आपूर्तिकर्ता, जुर्माना बढ़ा हुआ सीमा शुल्क विवरण में गलती अथवा चूक के कारण भार अथवा माप और बढ़े हुए सीमा शुल्क अथवा वारफेज और हैंडलिंग चार्ज अनुचित पैकिंग के कसरण हुआ हो तो भरने के लिए जिम्मेदार होगा। क्रय कि यह भी शर्त है कि पोर्ट अथरटीज को देय स्टोरेज और वारफेज पोर्ट पर डिस्चार्ज के समय शिपमेंट के संबंध में वास्तविक शिपिंग दस्तावेज़ की प्राप्ति से पहले का खर्च ठेकेदार/ आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

19. सामान्य

स्टोर्स के आयात के लिए आयात लाइसेन्स प्राप्त करने के तुरंत बाद एक सूचना आपूर्तिकर्ताओं को लाइसेन्स मंजूरी की देनी होगी जिसमें सीमित फैक्टर एवं वैधता अवधि निर्दिष्ट होनी चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शिपमेंट लाइसेन्स कि वैधता अवधि के दौरान किया गया जैसाकि लाइसेंसिंग प्राधिकारी से वैधता अवधि का विसटर प्राप्त करना कठिन होता है। फिर भी, कोई भी शिपमेंट विशेष रूप से हमारे द्वारा आयात लाइसेन्स अथरिटी द्वारा अनुमोदित सामग्री सूची की एक फोटो प्रति भी प्रदान कि जाएगी। शिपमेंट क्लियरिंग में परेसानी को दूर करने के लिए स्थानीय सीमा शुल्क के माध्यम विवरण और मात्रा जैसाकि बीजक में दिया गया है उसकी कठोरता से पुष्टि सामग्री सूची में इंगित होनी चाहिए जिसकी आपूर्ति की जाएगी।

20. शिपिंग निर्देश इसमें बारीकी से जांच किए जाएंगे। सभी बीजकों पर आदेश संख्या लिखा होना चाहिए। पैकिंग सूची में विक्रेता का नाम, आदेश संख्या, सकल एवं शुद्ध भार, बाहरी परिधि और मर्किंग प्रत्येक पैकेज पर होना चाहिए। जहां सामग्री विभिन्न आदेश संख्याओं के अंदर समाहित है उन्हें भी सेंकेस में शिपिंग किया गया है उनका अलग बीजक और पैकिंग सूची आदेश संख्या के लिए बनाई जानी चाहिए। जहां संभव हो, सामग्री जो दो अथवा अधिक आदेशों द्वारा समाहित हो उसे उसी पैकेज में नहीं भेजना चाहिए। सभी दस्तावेजों की चार प्रतियाँ पैकिंग सूचीओन सहित आगे दो सेट भेजा जाना चाहिए जो शिपमेंट से पहले प्रभावी हो।

21. एक प्रमाणपत्र अथवा समेकित लेखा विवरण हमें तीन प्रतियों में जारी किया जाना चाहिए। इसमें निर्दिष्ट होना चाहिए। आखिरी मूल्य जिसपर अनुबंध आखिरी रूप से निर्धारित हुआ है और कुल राशि प्रेषण का सबूत आदेश के साल ब्रेक डाउन के समक्ष प्राप्त हुआ, जहां काही आंशिक शिपमेंट इंडिविजुअल इन्वाइसेस के समक्ष प्रभावी होगी।

22. शिपिंग एग्रीमेंट पर अनुदेश के संबंध में ब्रोशर से उद्धृत सरकारी स्वामित्व / नियंत्रित कार्गोज के लिए (अनुलग्नक VI)

वर्तमान में लागू भाड़ा छूट अनुबंध के दृष्टिकोण से विशेष भाड़ा छूट सामान्य लाइनर कार्गोज से प्राप्त करने के लिए (आयात) सरकारी एकाउंट पर भेजने से जहाज एवं परिवहन मंत्रालय ने परिवहन अनुबंध किया है जो समय-समय पर कोन्फरेंसेस / शिपिंग लाइन्स निम्नलिखित ट्रेड रूट को समाहित करते हैं।

अ) यू के / महाद्वीप से शिपमेंट्स

- i) भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश कान्फरेंस के साथ अनुबंध में सभी सरकारी करगोस जो यूके, उत्तरी आयरलैंड (आरआईआई भी), यूरोप के उत्तरी महाद्वीप (जर्मनी, होलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडेन, डेन्मार्क, और फ़िनलैंड शामिल होंगे)। फ्रांस और पश्चिमी इटली के बन्दरगाह भूमध्यसागर के सीबोर्ड महाद्वीपीय, और जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रॉस्टॉक बन्दरगाह भी इसमें शामिल होगा।
- ii) एफओबी अथवा एफएएस टर्म्स पर शिपमेंट्स भारत सरकार के मान्यता प्राप्त प्रेषित एजेंसी के माध्यम से से 15% सकल सीमा शुल्क दर में रिबेट प्राप्त होगा।
- iii) करगोस जो अ) मूल अथवा अनुवर्ती उत्पन्न होने से वाणिज्यिक रूप से नष्ट समान की बिक्री अथवा निपटान की इच्छा रखते हैं आ) कीटनाशक और भारी रासायनिक के परसेल, विशेष कोटेशन में नहीं आते हैं के संबंध में 9 ½% की सकल दर पर तुरंत छूट मिलेगी। करगोस के मर्दे जो एसटीसी/एमएमटीसी एकाधिकार की पुष्टि करते हैं को 5% अतिरिक्त छूट एफओबी/एफएएस अनुबंध के संबंध में प्राप्त होंगे और सीआईएफ/ सी एंड एफ एफओआर/ टर्नकी अनुबंध के संबंध में 5% अतिरिक्त छूट मिलेगी।
- iv) सीआईएफ/ सी एंड एफ एफओआर/ टर्नकी शर्तों पर मालवाहकों को लड़ाई के लिए सदस्य लाइसेन्स यूके/ उत्तरी महाद्वीप सकल टैरिफ मूल्य पर 5% की अतिरिक्त छूट सरकारी प्रेषिती को देगी, अनुबंध शिपर्स को लागू तत्काल छूट 9 ½% आस्थगित कमीशन नॉन कंस्ट्रक्टिव विदेशी आपूर्तिकर्ताओं बशर्तों यह लैंडिंग (जहाज पर बोझ लादना) के बिल के दिनांक से एक वर्ष के भीतर सरकारी प्रेषिती द्वारा दावा किया गया है। इस उद्देश्य के लिए लैंडिंग की नॉन निगोशीबल बिल की दो प्रतियों पर सफल भाड़ा राशि दर्शाते हुए ऐसे एक प्रति पर आवश्यक पृष्ठांकन के लिए आपूर्तिकर्ताओं/ आयातक द्वारा जहाजरानी एवं परिवहन मंत्रालय में शिपिंग कॉ-ऑर्डिनेशन अधिकारी को उपलब्ध कराना आवश्यक है तथा भाड़ा पर अतिरिक्त 5% की छूट प्राप्त करने के लिए कैरियर एजेंट को प्रस्तुत करने के लिए पोर्ट कॉनसाइनी (प्रेषिती) को वापस करें। यदि लैंडिंग का बिल दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर कैरियर पोर्ट एजेंट को कॉनसाइनी के द्वारा निर्दिष्ट नहीं किया गया तो दावा को अस्वीकृति किया जाएगा।

- v) सीआईएफ/ सी एंड एफ एफओआर/ टर्नकी सप्लायर अथवा शिपर को विशेष रूप से कम की गई भाड़ा के कोटेशन पर कार्गो पर अतिरिक्त छूट नहीं दी जाएगी।
- vi) सीआईएफ/ सी एंड एफ एफओआर/ टर्नकी शर्त में रखें गए सभी अनुबंध में यह नियम शामिल होना चाहिए कि केवल कोन्फरेंस के मेंबर लाइनों से संबंधित वेजल ही करगोस को ले जा सकते हैं जो इस अनुबंध द्वारा जुड़े हुए हैं। यदि किसी विशेष शिपमेंट में कोन्फरेंस स्थान न हो तो, सरकार को अन्य फ्लैग वेजल को प्रयोग करने की छूट होगी।
- vii) माल का मूल बिल के न होने पर भारत सरकार का सामग्री होने की बात की पुष्टि करने के बाद भारत के लाइन एजेंट भारत सरकार, सरकारी विभाग/ उद्योग/ परियोजना/ डिरेक्टर ऑफ सप्लाइस एम्बरकेशन कोम्मेंट द्वारा लागू क्षतिपूर्ति पत्र के विरुद्ध कार्गो को पत्तन के उद्देश्य में रिहा कर देंगे। माल का मूल बिल क्षतिपूर्ति पत्र के लागू होने के एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

टिप्पणी: उपरोक्त इलास्ट्रेटिव फॉर्मेट के अनुसार, संबंधित डीलिंग अधिकारी/ विभागप्रमुख/ सूचीबद्ध आवश्यक फार्म बनाना/ दस्तावेजों/ निविदा पूछताछ/ पंजीकरण/ स्टैटस/ प्रोफॉर्मा जो क्रय मैनुअल खंड-1 में सादृश्य लेखों के साथ आवश्यकता अनुसार एक केस का संदर्भ से दूसरे केस बना सकते हैं।

SAMPLE FORMAT OF SHIPPING INSTRUCTIONS
(ILLUSTRATIVE FORMAT)

MODE OF DESPATCH

1. The goods may be despatched by sea or if more uneconomical by parcel post.
SPECIMEN SHIPPING CLAUSE FOR LINER CARGOES.

2. F.O.B. / F.A.S. CONTRACTS (IMPORTS)

Shipping arrangements will be made by the Shipping Co-ordination & Chartering Division, Ministry of Shipping & Transport, New Delhi (Cable: TRANSCHART), their respective Forwarding Agents / Nominees as mentioned below to whom adequate notice of not less than six weeks about the readiness of cargo for shipment, should be given by the Contractor / Suppliers from time to time for finalising the shipping arrangements.

Area	Forwarding Agents / Nominees
a) U.K. (including Northern Ireland) (Also Eire) the north continent of Europe (West Germany, Holland, Belgium, France, Norway, Sweden, Finland & Denmark) and ports on the continental seaboard of the Mediterranean (i.e. French & Western Italian Ports) and also Adriatic Ports.	<p><i>a) M/s Panalpina World Transport, Panalpina Welttransport GmbH Spaldingstra – 64 D20007, HAMBURG, GERMANY Ph +494023771-133 Fax +494023771-342 or 344 E-mail: Tanja.heukroth@ham.panmail.com</i></p> <p><i>b) M/s OPT Overseas Project Transport Inc., 969, Neward Tumpike Kearny, New Jersey – 07032, USA</i></p>
b) U.S.A. & Canada	
c) Japan	<p><i>The First Secretary, (Commercial) Embassy of India, Tokyo, JAPAN. Cable: INDEMBASSY TOKYO</i></p>
d) Australia	<p><i>The Shipping Corporation of India Limited. Shipping House, 229-232, Madame Cama Road, Mumbai - 400 021. Cable : SHIPINDIA MUMBAI</i></p>
e) Black Sea Ports of Bulgaria Rumania	<p><i>The Secretaries,</i></p>

<p>f) Polish Ports</p> <p>g) Other areas (excluding the Black Sea Ports of U.S.S.R. & Rostock (GDR).</p>	<p>Indo-Soviet Shipping Services, C/o, Shipping Corporation of India Limited. Shipping House, 229-232, Madame Cama Road, Mumbai - 400 021. Cable : SHIPINDIA MUMBAI for SOVINSHIP</p> <p>The Secretaries, Indo-Polish Shipping Services, C/o, Shipping Corporation of India Limited. Shipping House, 229-232, Madame Cama Road, Mumbai- 400021. Cable : SHIPINDIA MUMBAI for INDOPOL</p> <p>Shipping arrangements will be made directly or through Shipping Corporation of India Limited. Shipping House,229-232, Madame Cama Road, Mumbai - 400 021. Cable : SHIPINDIAMUMBAI</p>
--	--

Any changes in this regard as communicated by Ministry of Shipping & Transport, Chartering Wing, shall be communicated by GM(M)

3. From Black Sea Ports of U.S.S.R.to India

All contracts whether FOB / FOR / C & F / CIF etc.

Transportation of equipment and materials under this contracts shall be done by Soviet and Indian Liner Vessels belonging to the Indo-Soviet Shipping Service on a party basis in accordance with the Soviet-Indian Agreement of the 6th April 1956 as amended up to date on the establishment of a regular shipping service between the Ports of the USSR and India.

4. From Rostock (GDR) to India F.O.B. Contracts

The seller should arrange shipment of stores by vessels belonging to the member lines of the India-Pakistan-Bangladesh Conferences. If the seller finds that the space on the Conference lines vessels is not available in any specific shipment, he should take up with India-Pakistan-Bangladesh Conferences, Conferity House, East Grinstead, Sussex, U.K. for providing shipping space and also inform the shipping Co-ordination Officer, Ministry of Shipping & Transport, New Delhi. (Cable : TRANSHART, NEW DELHI. Telex : VAHAN ND - 2312,2448 and 3104.)

i) The bills of lading should be drawn so as to show:-

SHIPPERS : THE GOVERNMENT OF INDIA

CONSIGNEE : Government Department, Undertaking or Project concerned or Director of Supplies & Disposals / Embarkation Commandant (as specified in the tender)

(The name and address of the Post consignee and ultimate consignee should be indicated)

ii. The non-negotiable copies of the bills of lading indicating the gross freight amount and rebate allowed should be forwarded to the Shipping Co-ordination Officer, Ministry of Shipping & Transport, New Delhi, after the shipment of each consignment is effected.

5. PARCEL POST METHOD OF DESPATCH TO INDIA

- a. The goods must be packed suitably for postal despatch to India, and the parcel must be addressed to M/s. Mazagon Dock Limited., Mazagon, Mumbai 400 010, showing the Order Number, Item Number(s) and the Import Licence Number, on the Wrapper, below the address.

6. PACKING & MARKING

- a. The materials must be adequately packed in all respects for normal transport by Sea/Postal/Air despatch to India, suitably protected against the effects of a tropical salt-laden, atmosphere, in the event of delay at Indian Port, before clearing.
- b. Each class of material, and particularly electrical equipment should be packed separately and gross weight of individual cases kept under 4480 lbs. Where possible. If more than one case is included in shipment, cases should be numbered 01 and up & the corresponding number should be shown on the packing list, listing contents therein. Gross weight must be shown on each package to avoid penalty of Rs. 500/- by the local customs. All materials should be properly protected against ocean shipment particularly the possibility of rusting, corrosion or breakage.
- c. Every case / package must contain a packing note indicating particulars of the contents.
- d. All timber used in the packing of the materials is to be free from bark, insects and fungi.

7. The two ends of all packages should be colour splashed with a Blue background and a white diagonal line of 1" width. For identification. All cases are to be marked in letters 3" high wherever possible as under: -

MAZAGON DOCK LIMITED, MUMBAI

Case No. _____
Order No. _____
Gross weight in Kgs. _____
Nett weight in Kgs _____

Outside dimensions _____

Made in _____

8. Special marking instruction should comply with the Indian Merchandise Marks Act.

- ii. Order packing cases to be clearly marked Made in _____
- iii. Containers in packing boxes to be marked Made in _____
- iv. Goods included in containers and packing cases to be marked either by stamping or tie labels with either :-

- a. Made in _____ (Country of Origin)
- b. Name of the manufacturers plus Country of Origin e.g.
SIR WILLIAM ARROL & CO. LIMITED. ENGLAND.

9. All spares and accessories shall be separately crated and labeled as "Spare Parts".

10. The following documents are to be airmailed to **MAZAGON DOCK LIMITED**. Mumbai, immediately they are ready to ensure that they reach us well in time before the arrival of the carrying vessel.

- a. Original and three copies of Clean Bill of Lading / Airway Bill.
- b. Six copies of signed invoice showing item wise, FOB prices along with packing lists. Certificate confirming that three copies of Invoice, Packing List, Non-negotiable copy of Bill of Lading / Airway Bill have been airmailed directly to us immediately on shipment.
- c. Certificate of country of origin in triplicate.
- d. Warranty certificate in triplicate.
- e. Six copies of Manufacturer's Works Test Certificate / Shop Test Certificate.
- f. Six copies of Certificate of Inspection and Approval from ABS / LRS / DNV / DOT or any other nominated inspection authority, (whichever is applicable).
- g. Certificate to the effect that copies of Instruction / Operation / Maintenance Manuals have been directly forwarded to the openers by the beneficiary.
- h. Certificate to that effect that six copies of as built drawings along with three reproducible drawings have been directly forwarded to the openers by the beneficiary.
- i. Certificate regarding penalty vis-à-vis delivery schedule.
- j. A performance bank guarantee of 5% of the order value in the format issued in the order (original + 2 xerox copies). The bank guarantee is to be valid during the tenure of the guarantee period for the equipment.

11. All documents should clearly indicate the following details: -

- a. Import License No.
- b. Our Order No.
- c. Name of carrying vessel.
- d. Bill of Lading No.
- e. Markings on packages.

12. ARRANGEMENTS FOR PAYMENTS:

The documents are not under any circumstances, to be sent through bank, on collection basis. Wherever payments are to be arranged through Letter of Credit, a confirmed irrevocable Letter of Credit will be established on receipt of a confirmation about the period upto which the letter of credit is needed for shipment and negotiation. The Letter of Credit will be for the F.O.B. Value of the goods. No extension of the Letter of Credit will normally be granted. It must be ensured that the shipments effected before the expiry of date of the Letter of Credit.

13. For payment authorised out of India, U.K. special Defense Credit 1964, a certificate in the following form should also accompany the documents mentioned above:

" I certify that goods and services to the value of _____ s, d, _____
[amount in words] as shown in the attached invoice were supplied under Contract No.
_____ dated _____ .

I also certify that :-

- [a] the goods supplied have been wholly manufactured in the United Kingdom.
- [b] the services have been supplied by persons or corporations resident in the United Kingdom.

Signed

For _____ and _____ on _____ behalf _____ of
Name and address of the Contractor / Supplier.
Date

14. INSURANCE & FREIGHT

Insurance will be arranged through the New India Assurance Co Limited, Marine Insurance Department, Commerce Centre, Tardeo, Mumbai- 400 034, India. The details of shipment will be communicated to the underwriter by Mazagon Dock Limited., Mumbai, on receipt of shipment advice. Immediately after shipment, the supplier should communicate the following particulars to us by AIR MAIL, for arranging the Insurance cover.

Order No. _____

Name of Vessel _____

Voyage _____

Bill of Lading No. & Date _____

No of Packages _____

Brief description of goods _____

F.O.B. Value _____

Nett Freight _____

15. The cost of insurance and freight will be paid in India in convertible Indian Currency.

16. INSPECTION AND / OR GUARANTEE

The goods supplied, will be subject to inspection and / or test as may be specified in our Purchase Order. Test Certificates, where required are to be supplied. A Guarantee in the following form should also be airmailed to us, along with the documents referred to above. We hereby guarantee that the stores supplied, are in accordance with the description and quantity shown in the purchase order, complete of goods material and workmanship throughout and that in the event of any goods on receipt of India, by the Purchaser being found not in accordance with the order, we will replace free of cost on C.I.F. basis.

17. DEFICIENCIES & DEFECTIVE GOODS

Should any deficiencies be established, these must be made good by the despatch under "No Charge" invoice. Any complaints in regards to material will be notified within 180 days of receipt of consignment in our Yard, and any defective material will be returned back at supplier's risk and cost and the Contractor / Suppliers should replace these goods / materials and deliver free of charge on C.I.F. basis.

18. The wharfage and demurrage will be to Contractor / Supplier's accounts for all shipments that reach us without bill of lading properly endorsed and accompanied by packing lists and invoices. The supplier shall be responsible for fines or increased customs charges due to errors or commissions in description, weight or

measurement and for increased customs or wharfage and handling charge due to improper packing. It is also a condition of purchase that storage and demurrage payable to port authorities at the port of discharge in respect of shipment arriving before the actual receipt of the shipping documents will be borne by the Contractor / Supplier.

19. GENERAL

Immediately on receipt of import licence for the import of the stores, an intimation will be given to the suppliers of the grant of licences, indicating the limiting factor and validity period. It must be ensured that shipment is made within the validity period of the licence as it is difficult to obtain extension of the validity period from the licensing authorities. However, no shipment must be effected without intimation of import licence particulars from us. A Photostat copy of the list of goods as approved by the licensing Authorities in India will also be supplied. To avoid difficulty in clearing the shipment through local customs the description and quantity as given in the invoice should confirm strictly to those indicated in the list of goods that will be supplied.

20. The shipping instructions herein shall be closely observed. All invoices shall bear the number of order. Packing list must show the seller's name, order number, nett and gross weight, outside dimensions and the markings if each package. Where materials covered by different order numbers are shipped in the same case, separate invoices and the packing lists must be made out for each order number. Wherever possible, material covered by two or more orders shall not be shipped in the same package. Four copies of all documents including packing lists should be forwarded, two sets before shipment is effected.

21. A certificate or consolidated statement of accounts should be issued to us in triplicate, indicating therein the final value at which the contract has been finally settled and the evidence of total remittance received against the order with a breakdown, wherever partial shipment were effected against individual invoices.

21. EXTRACTION FROM THE BROCHURE REGARDING INSTRUCTIONS ON SHIPPING ARRANGEMENTS FOR GOVERNMENT OWNED / CONTROLLED CARGOES. (ANNEXURE VI)

Freight Rebates Agreements currently in force with a view to securing special freight reduction for general Liner Cargoes (imports) shipped on Government account, the Ministry of Shipping & Transport have entered into transportation agreements from time to time with the Conferences / Shipping Lines covering the following trade routes.

a) Shipments from U.K. / Continent.

- i. Agreement with the India, Pakistan, Bangladesh Conference covers all Governmental cargoes emanating from U.K. - including Northern Ireland (also EIRE), North Continent of Europe (West Germany, Holland, Belgium, France, Norway, Sweden, Denmark and Finland), French and western Italian Ports on the continental seaboard of the Mediterranean, and the Port of Rostock in the German Democratic Republic.
- ii. Shipments on F.O.B. or FAS terms, arranged through the accredited forwarding agents of the Government of India will be entitled to an immediate rebate of 15% off gross Tariff rates.
- iii. Immediate rebate will be 9 1/2 % off the gross Tariff rates in respect of **(a)** cargoes which are intended for sale or disposal commercially wither in their original or subsequently manufactured state **(b) parcels** of fertilizers and heavy chemicals, not subject to special quotations. Items of cargoes which are confirmed to STC / MMTC's monopoly will however receive 5% extra rebate in respect of FOB / FAS contract and 5% extra rebate in respect of C&F / CIF / OR / TURNKEY Contracts.
- iv. For shipment of cargoes on CIF / C&F Turnkey terms, the Member Lines will grant an extra rebate of 5% on U.K. / North Continental Gross Tariff rates to Government consignees in addition to the 9 1/2% immediate rebate admissible to the contract shippers, i.e. the foreign suppliers (or 10% deferred commission to non-contract foreign suppliers) provided the same is claimed by the Government

Consignees within one year from the date of Bill of Lading. For this purpose, two copies of non-negotiable Bill of Lading indicating the gross freight amount thereon are required to be made available to the Shipping Co-ordination Officer in the Ministry of Shipping and Transport by the Suppliers / importers for necessary endorsement on one such copy and return to the Port Consignee for presenting to the carriers' agents for obtaining the extra 5% rebate on freight. The claim will be rejected if not referred by the consignee to the carriers' port agents within a period of one year from the date of Bill of Lading.

- v. Extra rebate will not be payable in respect of cargo covered by a specially reduced freight quotation to the CIF / C&F FOR / Turnkey supplier or shipper.
- vi. All contracts placed on CIF / C&F FOR / Turnkey terms should include a stipulation that only vessels belonging to the Member Lines of the Conference will be utilised for carriage of cargoes covered by such contracts. If conference space is not available for any specific shipment, the Government shall have the right to seek dispensation to use other flag vessels.
- vii. In absence of original Bills of Lading after confirming the Government of India has title to the goods the Lines Agents in India will release the cargo against a Letter of Indemnity given by the Government of India, Government Department / Undertaking / Projects / Director of Supplies Embarkation Commandant at the port of discharge. The original Bills of Lading will be presented within one year of issuing of Letter of Indemnity.

Note: Based on the Illustrative Format as above, the concerned Dealing Officer / HOD(C) may formulate / design the required forms / documents / tender enquiries / registers / STACS / proformas to suit to the requirements on case to case basis in line with the corresponding articles in Purchase Manual Volume-I.
